ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST | Vol. 3 | Issue 10 | October 2025
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i10.191

मानव समाज एवं न्याय: जॉन रॉल्स एवं अमर्त्य सेन के विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Saumya Kumari

Senior Research Fellow, Department of Philosophy & Religion, Banaras Hindu University, Varanasi

Email: saumya1773@gmail.com

सार:

न्याय एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों में इसका केंद्रीय महत्व है। वास्तविक अर्थों में न्याय उन मूल्यों में से एक है जिसे सभ्य समाज और राज्य आदर्श मानते हैं । सरल शब्दों में, यह एक एकीकृत अवधारणा है, जो लोगों के अधिकारों और दायित्वों, पुरस्कार और दंड का पूरा-पूरा वितरण करके उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय मानव समाज की नींव है जो नैतिकता, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित है। प्राचीन काल से ही दार्शनिकों और विचारकों ने न्याय के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन आधुनिक युग में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन दो प्रमुख नाम हैं जिन्होंने न्याय की अवधारणा को एक नई दिशा दी।

रॉल्स ने अपनी पुस्तक "ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस" में सामाजिक न्याय को निष्पक्षता के रूप में प्रस्तुत किया है और तर्क दिया है कि समाज को इस तरह से संगठित किया जाना चाहिए कि इससे कमजोर वर्ग के लोगों को भी लाभ मिले।

अमर्त्य सेन ने "द आइडिया ऑफ़ जस्टिस" में व्यावहारिक न्याय की अवधारणा दी। सेन का मानना है कि न्याय के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर किसी संस्था का मूल्यांकन करने के बजाय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में अन्याय के विभिन्न पहलुओं और कारणों को उजागर करना बेहतर है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य दोनों विचारकों के सिद्धांतों का विश्लेषण करना और न्याय की परिभाषा और उसके सामाजिक प्रभावों को समझने का प्रयास करना है।

कुंजी शब्द: *न्याय, राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक न्याय, नैतिकता, विचारक.*

1. परिचय

न्याय प्रत्येक समाज की बुनियादी संरचना का आधार है। न्याय उन आयामों में से एक है जिस पर सच्चे अर्थों में मानव समाज टिका हुआ है। यह केवल कानून और नैतिकता से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है, जो दुनिया के विभिन्न तत्वों और विचारों को अपने में समाहित करती है। न्याय यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता मिले तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण व समान वितरण हो।

न्याय का विचार प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। समय के साथ न्याय की परिभाषा और विचार बदलती रहती है। बीसवीं शताब्दी में न्याय की अवधारणा को विस्तार देने में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत समाज में निष्पक्षता और समानता पर केंद्रित होता है, जबकि सेन ने न्याय को केवल संस्थागत संरचनात्मक ढांचे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओ और स्वतंत्रता से जोड़ा है।

न्याय की अवधारणा सम्पूर्ण मानव समाज के उत्थान के लिए अति आवश्यक है, लेकिन समाज में कई हाशिए पर पड़े अनेक समुदायों, विशेषकर आदिवासी व जनजातीय समाज के विकास के लिए न्याय की अवधारणा को एक अलग दृष्टिकोण से देखना अति आवश्यक है।

2. न्याय एक मूलभूत विचार

न्याय मानव समाज का केंद्रीय बिंदु है। मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और नैतिकता का विचार न्याय के इर्द-गिर्द घूमता है। प्राचीन काल से ही न्याय को समाज के संतुलन और सामंजस्य से जोड़ा जाता रहा है। जब हम 'न्याय' की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है और यह समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व उचित व्यवहार, समान अवसर और गरिमा से जुड़ा हुआ है।

2.1 *न्याय का अर्थ और समाज से संबंध*

न्याय की परिभाषा समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। अलग-अलग सभ्यताओं और विचारकों ने इसे अपने-अपने तरीके से समझा है। प्राचीन भारतीय दर्शन में न्याय को धर्म से जोड़ा गया है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि राजा का कर्तव्य 'धर्म' यानी न्याय की स्थापना करना है। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर को 'धर्मराज' संज्ञा दी गई है क्योंकि वे न्यायप्रिय व्यक्ति थे। पश्चिमी परंपरा में न्याय का विचार सर्वप्रथम प्लेटो के दर्शन में मिलता है। प्लेटो के अनुसार न्याय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का एक साधन है। अरस्तू ने न्याय को समानता से जोड़ा जबकि कांट ने इसे नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा।

2.2 *न्याय और मानव समाज*

न्याय किसी भी समाज की नींव है क्योंकि यह समानता, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करता है। मानव समाज केवल एक समूह या संरचना नहीं है बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है जो इसे संगठित और स्थिर बनाते हैं। एक समाज को न्यायपूर्ण समाज तब कहा जाता है जब सभी व्यक्तियों को समान अवसर, उचित अधिकार और सुरक्षित जीवन मिले। जब कमजोर वर्गों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों को न्याय से वंचित किया जाता है, तो असमानता और शोषण जन्म लेता है।

आदिवासी व जनजातीय समुदायों का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है और वे सदियों से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण उन्हें न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। न्यायपूर्ण मानव समाज की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर वंचित वर्ग और आदिवासी व जनजातीय समुदायों को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले।

3. जॉन रॉल्स क न्याय सिद्धांत

जॉन रॉल्स बीसवीं सदी के अग्रणी दार्शनिकों में से एक थे। रॉल्स ने न्याय को 'सामाजिक संस्था का पहला गुण' के रूप में वर्णित किया और न्याय का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देता है।

3.1 *मूलभूत विचार*

जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया और कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज वह होगा जहां सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों।

उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की और उस आदर्श समाज तक पहुँचने का रास्ता 'अज्ञानता के आवरण' से होकर गुजरता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि हम एक नए समाज के लिए नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमे उस समाज में कौन सा स्थान प्राप्त होगा। हम अज्ञानता के आवरण के अंदर होंगे। हमें नहीं पता होगा कि हम अमीर होंगे या गरीब, समाज की मुख्य धारा से जुड़े होंगे या हाशिए पर रहने वाले वर्ग से समन्धित होंगे।

ऐसी स्थिति में हम ऐसे नियम बनाएंगे जो सबके लिए न्यायपूर्ण हों, ताकि सभी को समान अवसर, अधिकार और संसाधन मिलें।

3.2 *न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत*

3.2.1 समान स्वतंत्रता का सिद्धांत: प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता और अधिकार मिलने चाहिए।

3.2.2. भिन्नता का सिद्धांत: समाज में कुछ असमानताएँ विद्यमान होंगी, लेकिन वे तभी स्वीकार्य हो सकती हैं जब वे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी हों।

4. अमर्त्य सेन का न्याय सिद्धांत

अमर्त्य सेन आधुनिक न्यायशास्त्र और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विचारकों में से एक हैं। उनके अनुसार न्याय को केवल सिद्धांतों और कानूनों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

4.1 *तुलनात्मक दृष्टिकोण*

अमर्त्य सेन ने न्याय पर विचार करते हुए सिद्धांत को दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया है। एक है पूर्ण न्याय और दूसरा है तुलनात्मक न्याय। समग्र न्याय से उनका तात्पर्य है कि हमें न्याय की एक आदर्श स्थिति को परिभाषित करना चाहिए जिसके आधार पर समाज की व्यवस्था संचालित हो सके। यह एक सैद्धांतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसमें आदर्श न्याय की परिकल्पना की गई है। इसके विपरीत, तुलनात्मक दृष्टिकोण एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें समाज की विभिन्न प्रणालियों की तुलना करके यह देखा जाता है कि कौन सा विकल्प अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी है। सेन का मानना है कि न्याय को केवल एक आदर्श स्थिति के रूप में देखने के बजाय, वास्तविक दुनिया में हो रहे सुधारों और उनकी प्रभावशीलता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

5. आधुनिक युग में न्याय की प्रासंगिकता

आधुनिक युग में न्याय की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आज के वैश्वीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएँ तेजी से उभर रही हैं।

- सामाजिक न्याय: आज भी जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। न्याय की प्रासंगिकता इस बात में है कि यह कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों को समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है।
- आर्थिक न्याय: आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जिससे गरीब और अमीर के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। न्यायपूर्ण आर्थिक नीतियाँ, जैसे कि समान वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच, इस असमानता को कम करने में सहायक हो सकती हैं।
- राजनीतिक न्याय: लोकतंत्र में सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन आज भी कई जगहों पर जनता की भागीदारी सीमित है, और निर्णय-लेना प्रक्रिया में केवल कुछ वर्गों का वर्चस्व रहता है। न्याय की प्रासंगिकता इस बात में है कि वह सभी को समान भागीदारी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करे।

- पर्यावरणीय न्याय: जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रभावित लोगों के लिए न्याय आवश्यक हो गया है। विशेष रूप से जनजातीय समुदाय, जो जंगलों और पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं, पर्यावरणीय असंतुलन का सबसे अधिक शिकार होते हैं। न्याय की प्रासंगिकता यहाँ स्पष्ट होती है कि पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ जनजातीय और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए बनाई जाएँ।
- डिजिटल न्याय: आधुनिक समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रभाव न्याय की नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। डिजिटल असमानता, डेटा गोपनीयता और साइबर अपराध जैसी समस्याएँ न्याय की नई परिभाषा को जन्म देती हैं। डिजिटल दुनिया में सभी को समान अवसर और सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो न्याय की नई दिशा को दर्शाता है।

वर्तमान समय में न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र में—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और डिजिटल—एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्याय की वास्तविक प्रासंगिकता इस बात में है कि यह न केवल सिद्धांतों और कानूनों तक सीमित रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग को वास्तविक रूप से समानता, स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करे। विशेष रूप से जनजातीय समुदायों और हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए न्याय केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और सशक्तिकरण का आधार बनना चाहिए

6. निष्कर्ष

न्याय सिर्फ एक कानूनी या दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का बुनियादी आधार है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और अवसरों का बंटवारा कैसा होना चाहिए। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन, दोनों ही न्याय को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। रॉल्स का मानना था कि अगर हम यह न जानते हों कि समाज में हमारा स्थान क्या होगा, तो हमें कैसी व्यवस्था न्यायसंगत लगेगी? इस विचार के ज़रिए वे एक ऐसी सामाजिक संरचना की वकालत करते हैं, जहाँ हर किसी को बराबरी का मौका मिले और जो कमजोर हैं, उनके हितों की विशेष सुरक्षा की जाए। दूसरी ओर, अमर्त्य सेन न्याय को एक व्यवहारिक चीज़ मानते हैं, जो केवल सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में लोगों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उनके मुताबिक, न्याय सिर्फ संसाधनों के बंटवारे से तय नहीं होता, बल्कि इससे भी कि लोग उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को कितना संवार पाते हैं।

अगर हम न्याय को जनजातीय समाज के संदर्भ में देखें, तो हमें समझ में आता है कि केवल नीतियाँ बना देना काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि वे नीतियाँ ज़मीन पर कितनी कारगर हैं। रॉल्स का सिद्धांत कहता है कि अगर समाज में असमानता है, तो उसे तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब उससे सबसे कमजोर तबके को फायदा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल यह कह देना पर्याप्त होगा कि एक नीति जनजातीय समाज के लिए लाभकारी होगी? सेन इस बात को और आगे ले जाते हैं और यह पूछते हैं कि क्या वास्तव में ये समुदाय इन नीतियों का लाभ उठा पा रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रही है, तो सिर्फ स्कूल और अस्पताल बनाना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि क्या वहाँ पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक हैं, क्या लोगों को वहाँ तक पहुँचने की सुविधा है, और क्या वे इस शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं।

आज की दुनिया में न्याय की ज़रूरत पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। कुछ लोगों के पास अपार संसाधन और अवसर हैं, जबकि दूसरी ओर, समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देती है। अमर्त्य सेन का न्याय सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि न्याय केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संसाधन और अवसर कैसे बाँटे गए हैं, बल्कि इस पर भी कि क्या लोग इनका प्रभावी रूप से उपयोग कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी गाँव में एक स्कूल खोल दिया

जाता है, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं हैं, या गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए पर्याप्त भोजन और पोषण नहीं मिल रहा, तो यह व्यवस्था न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। इसी तरह, अगर किसी जनजातीय समुदाय को भूमि का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उन तक आवश्यक सरकारी योजनाओं की जानकारी और कानूनी सहायता नहीं पहुँच रही, तो वे उस अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते। सेन का दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि केवल अधिकारों और संसाधनों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन तक वास्तविक पहुँच और प्रभावशीलता भी उतनी ही जरूरी है।

पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन भी न्याय के नए पहलू बन चुके हैं, खासकर जनजातीय समाजों के संदर्भ में। जंगलों पर निर्भर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय का अर्थ सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक संसाधनों की रक्षा और उनके जीवन के तरीके को सम्मान देना भी है। कई बार विकास के नाम पर बड़े उद्योगों और खनन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं और इन समुदायों को अपने पारंपरिक घरों से विस्थापित होना पड़ता है। इस संदर्भ में, सेन का तुलनात्मक दृष्टिकोण यह देखने में मदद करता है कि कोई नीति या परियोजना वास्तव में किस हद तक प्रभावित समुदायों के लिए न्यायपूर्ण है। केवल मुआवजा देना या पुनर्वास योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि क्या वे लोग अपनी पुरानी जीवनशैली के समान ही सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं। रॉल्स के अंतर-सिद्धांत के अनुसार, किसी भी असमानता को तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह कमजोर तबकों के जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन जब विकास परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुँचता है और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन होता है, तो यह न्याय के इस मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ जाता है।

इसके अलावा, डिजिटल दुनिया में भी न्याय की नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। आज के दौर में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज के कुछ वर्गों को लाभ हो रहा है, जबकि कई लोग इससे पूरी तरह कटे हुए हैं। उदाहरण के लिए, शहरों में रहने वाले लोग डिजिटल सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, जबकि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। डिजिटल न्याय का अर्थ केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी लोगों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वे इसका प्रभावी उपयोग कर सकें। सेन का दृष्टिकोण यहाँ भी उपयोगी है, क्योंकि वे यह देखने की बात करते हैं कि समाज के कमजोर तबकों को वास्तविक रूप से क्या फायदा मिल रहा है। अगर सरकार डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रही है, लेकिन समाज के बड़े हिस्से को उन तक पहुँचने का अवसर ही नहीं मिल रहा, तो यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। सेन हमें यह सिखाते हैं कि न्याय केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से लोगों की ज़िंदगी में लागू करना ही इसका असली उद्देश्य होना चाहिए।

अंततः, न्याय की सार्थकता तभी है जब यह हर व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। रॉल्स हमें यह सिखाते हैं कि एक निष्पक्ष और समान समाज का निर्माण कैसे किया जाए, जबकि सेन हमें बताते हैं कि हमें ज़मीनी हकीकत को समझकर न्याय को लागू करना होगा। न्याय कोई दूर की चीज़ नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह तभी साकार हो सकता है, जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित करने, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले। खासकर, उन लोगों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, न्याय सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की कुंजी है।

7. संदर्भग्रंथ सूची

[1]. रॉल्स, जॉन. (1971). अ थ्योरी ऑफ जस्टिस [अंग्रेज़ी]. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[2]. सेन, अमर्त्य. (2009). द आइडिया ऑफ जस्टिस [अंग्रेज़ी]. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[3]. किमलीका, विल. (2014). कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलॉसफी: इन इंट्रोडक्शन (दूसरा संस्करण) [अंग्रेज़ी]. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[4]. रामेन्द्र. (2022). समाज और राजनीती दर्शन [हिंदी]. मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स.

[5]. परमार, शुभ्रा. (2019). आधुनिक राजनीति दर्शन [हिन्दी]. ओरिएंट ब्लैकस्वान.

[6]. गौबा, ओ. पी. (2023). राजनीति-सिंद्धांत की रुपरेखा: एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी (9वां संस्करण) [हिन्दी]. मयूर पेपरबैक्स.

[7]. वोल्फ, जोनाथन. (2023). एन इंट्रोडक्शन तो पॉलिटिकल फिलॉसफी [अंग्रेजी]. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

Cite this Article

Saumya Kumari, *"मानव समाज एवं न्याय: जॉन रॉल्स एवं अमर्त्य सेन के विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन", International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 3, Issue 10, pp. 34-39, October 2025.*

Journal URL: *https://ijmrast.com/*

DOI: *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i10.191*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.